Speed Post

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(A Constitutional Body set up under Art. 338A of the Constitution of India)

File No. NCST- 16013(CG)/4/2021-RU-III

6th Floor, Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Date: 19.07.2021

To,

1. **The Chief Secretary,**
Government of Chhattisgarh,
Mahanadi Bhawan, Mantralaya,
Naya Raipur,
(Chhattisgarh)- 492002

2. **The District Collector,**
District- Sukma,
Collectorate Composite Building,
(Chhattisgarh)- 494111

Sub: "कोटा ब्लॉक, जिला सुकमा, (छत्तीसगढ़) के कई गांवो में पोलावरम बांध से खतरे की घंटी"- captioned news article published in Hari Bhumi Daily News Paper- regarding.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Sitting taken by Shri Ananta Nayak, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 29.06.2021 for necessary action.

It is, requested that action taken report/ compliance in this regard may please be sent to the Commission within one month.

Encl: As above

Yours faithfully,

19/7/2

(Dr. Lalit Latta)
Director
PH. No. 011-24615012
Email. Id – director@ncst.nic.in

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- NCST-16013(CG)/4/2021-RU-III)

समाचार पत्र हरि भूमि में प्रकाशित समाचार "कोटा ब्लॉक, जिला सुकमा, (छत्तीसगढ़) के कई गांवो में पोलावरम बांध से खतरे की घंटी" संबंधी कतरन पर आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 29.06.2021 को आयोग में हुई सीटिंग का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 29.06.2021, 11.30 बजे (पूर्वाह्न)

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

1. **सीटिंग शुरू होने से पहले आयोग के समक्ष संबंधित भागीदारीगणों का परिचय हुआ। तत्पश्चात माननीय सदस्य ने मामले में छत्तीसगढ़ सरकार से उपस्थित होनेवाले अधिकारियों के बारे में पूछा। जिला कलेक्टर, जिला सुकमा ने मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र दिनांक 28.06.2021 आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया और अवगत कराया कि मुख्य सचिव ने स्वास्थ्यगत कारणों से सीटिंग में उपस्थित होने से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है तथा मामले से संबंधित समस्त जानकारी सहित उनको (जिला कलेक्टर, सुकमा) को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया है।**
2. **मामले में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए जिसको माननीय सदस्य द्वारा गंभीरता से लिया गया।**
3. **माननीय सदस्य ने जिला कलेक्टर, सुकमा को मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जिस पर जिला कलेक्टर ने अवगत कराया कि अधीक्षण अभियंता, इंदरावती परियोजना मंडल, जगदलपुर की रिपोर्ट अनुसार पोलावरम बांध के डुबान क्षेत्र (एफ.आर.एल 150 फीट) का सर्वेक्षण मेसर्स नानक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर के माध्यम से कराया गया है। डुबान के बारे में पोलावरम परियोजना के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जलभराव केवल उसी स्तर तक किया जाएगा जिस स्तर तक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कार्रवाई पूर्ण हो गई है।**
4. **कलेक्टर ने बताया कि सर्वेक्षण अनुसार 216 घर डूब में आ रहे हैं जिनकी परिवार संख्या 250 हैं और जनसंख्या 1402 है। कोटा नगर की कुल आबादी का 9 प्रतिशत हिस्सा ही डूब से प्रभावित हो रहा है। यदि परियोजना द्वारा तट बंध का निर्माण किया गया तो कोटा नगर का कोई हिस्सा नहीं डूबेगा । कलेक्टर ने यह भी बताया कि बांध से बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने ग्रामीणों के ठहरने हेतु शासकीय भवनों एवं अस्थाई राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है। शिविरों में भोजन/कपड़े/बर्तन/स्वच्छ पेयजल एवं विद्युत,**

19.7.21

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

चिकित्सकीय सुविधा, अस्थाई मेडिकल कैम्पों में मेडिकल टीम का गठन किया गया है। साथ ही संक्रामक बीमारी एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। स्थिति से निपटने हेतु सैन्य सहायता तथा हेलिकॉप्टर के अलावा मोटर वोट, नाव एवं गोताखोरों की व्यवस्था कर ली गई है।

5. जिला कलेक्टर, सुकमा द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त बयान अनुसार सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि पोलावरम बांध से सुकमा जिले के कोटा ब्लॉक के अनुसूचित जनजाति के परिवारों के डूबने की आशंका बनी हुई है। यदि भारी बारिश शुरू हो जाए तो बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है जिससे अनुसूचित जनजाति के परिवारों को खतरा हो सकता है। अतः आयोग निम्नलिखित सिफारिश करता है -

- कोटा ब्लॉक के अंतर्गत बांध से डुबान की स्थिति प्रभावित होनेवाले अनुसूचित जनजाति के गांव और परिवार की जिला शासन द्वारा पूर्ण पहचान की जाए।
- कोटा ब्लॉक के अंतर्गत प्रभावित होनेवाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों के विस्थापन/पुनर्वासन की जिला प्रशासन/राज्य शासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर समुचित व्यवस्था की जाए।
- प्रभावित होनेवाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों को जीवन- यापन हेतु रोजगार की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

6. मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को अविलंब भेजी जाए।

19.7.21

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

List of Participants

F. No. NCST-16013(CG)/4/2021-RU-III

विषय :- "कोटा ब्लॉक, जिला सुकमा, (छत्तीसगढ़) के कई गांवो में पोलावरम बांध से खतरे की घंटी"-समाचार पत्र हरि भूमि में प्रकाशित समाचार की कतरन ।

Date and time of Hearing: 29.06.2021 at 11:30 AM

(A) Officers of National Commission of Scheduled Tribes

1. Shri Ananta Nayak, Hon'ble Member
2. Ms. Alka Tiwari, Secretary
3. Shri K. Touthang, Joint Secretary
4. Dr. Lalit Latta, Director
5. Shri R. K. Dubey, Deputy Director
6. Shri H. R. Meena, Senior Investigator
7. Shri D.D. Tripathi, Legal Consultant

(B) Officers of Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh

1. Not present.

(C) Officers of District- Sukma

1. Shri Vinit Nandanwar